were considered by the Board of Administration and the Board of Directors at their meetings held on 22-9-77 and 3-10-77 respectively. However, an injunction order restraining the Society to implement the decisions taken by the Board of Directors at its meeting held on 3-10-77 has been received from a Civil Court of Delhi.

A meeting of the General Body will be held as soon as the injunction orders are vacated.

आगरा-कचौराघाट-इटावा रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

459. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आगरा-कचौराघाट-इटावा रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से दिल्ली तथा कानपुर के बीच की यात्रा दूरी 25 से 30 किलोमीटर तक कम हो जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सड़क को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम): (क) से (ग) आगरा और इटावा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (रा० रा० सं० 2) से पहले ही जुड़ा हुआ है। सरकार का आगरा-कचौराघाट-इटावा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल निकट और समानान्तर जाये। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर आगरा-इटावा सड़क और आगरा-कचौराघाट-इटावा सड़क के बीच 10 कि० मी० से भी कम अन्तर है।

डेमोक्रटिक सीमेन्स यूनियन, कलकत्ता

460. **श्री उग्रसेन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डेमोक्रेटिक सीमेन्स यूनियन, कलकत्ता से सितम्बर, 1977 में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो यूनियन की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की गयी थी कि संघ को मान्यता दी जाए और त्रिपक्षीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी दिया जाय और मान्यता प्राप्त संघ को मैरिन हाऊस कलकत्ता के अन्दर संघ का चन्दा वसूल करने के लिए दी गयी सुविधा वापिस ली जाए। नाविक संघ की सदस्यता के सत्यापन करने की क्रियाविधि तैयार की जा रही है और सत्यापन करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। त्रिपक्षीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व को मान्यता का दिया जाना संघों की सदस्यता की संबंधित संख्या के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा और इसलिए सत्यापन, जब भी हो, के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। इस बीच मान्यता प्राप्त संघों को जो सुविधाऐं दी गयी हैं, उन्हें वापिस लेना उचित नहीं होगा।